



SHRIRAM City
MONEY WHEN YOU NEED IT MOST

श्रीराम सिटी यूनिफन फाइनेंस लिमिटेड

प्रधान कार्यालय: लेवल 3, इंडस्ट्रियल, बोम्बे स्टैंडर्ड टॉवर, बॉम्बे कॉम्प्लेक्स, बॉम्बे इस्ट, मुंबई-400061

पंजीकृत कार्यालय: 123, अंगणा मैकैन स्ट्रीट, केम्प-600001

राज्या कार्यालय: श्रीराम सिटी यूनिफन फाइनेंस लिमिटेड, एलन/एल2, दूसरा तल, वीन पार्क एक्सटेंशन, मुम्बई का रोड, एमबीआई के ऊपर, नई दिल्ली-110016

ई-मेल: customercare@shriramcity.in

वेबसाइट: www.shriramcity.in

सीआईएन: L65181TN1986PLC012840

परिशिष्ट IV-नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि वित्तीय आस्थियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर श्रीराम सिटी यूनिफन फाइनेंस लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने मांग सूचना दिनांकित 13.11.2018 जारी की थी जिसमें खाता नं. आरएसएसबीएलटीएफ1801300003 के कर्जदार मेसर्स जायसवाल किराणस और अन्य के सूचना में उल्लिखित दिनांक 13.11.2018 को राशि रु. 4,80,12,400.55/- को उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकाना करने के लिए कहा।

कर्जदार द्वारा बकाया राशि का मुगुतान न कर पाने पर कर्जदार तथा सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे उल्लिखित संपत्ति का 13 मई, 2019 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार तथा सर्व सामान्य को संपत्ति से कोई लेनदेन न करने के लिए आगाह किया जाता है। संपत्ति के लिए कोई भी लेनदेन 13.11.2018 को राशि रु. 4,80,12,400.55/- और इस पर ब्याज के लिए श्रीराम सिटी यूनिफन फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अर्थात होगा। उपलब्ध समय के संबंध में प्रयाप्त परिस्थितियों को मुक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति नं. 5679-5681, एरिया माप लगभग 32 वर्ग गज बाडें नं. VI, जोगी वारा, नई सड़क, दिल्ली

स्थान: दिल्ली
दिनांक: 13.05.2019

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
श्रीराम सिटी यूनिफन फाइनेंस लिमिटेड

एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: नं. 202, दूसरी मंजिल, विक्रमादित्य टावर, अलकनंदा मार्केट, कालकाजी, नई दिल्ली-110019

ई-मेल: cs@splimited.com, वेबसाइट: www.splimited.com
CIN: L74899DL1991PLC062744

बोर्ड की बैठक की सूचना

संबंधी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमों, 2015 के विनियमन 47 के प्रावधान के अनुपालन के तहत एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 31 मार्च, 2019 को समाप्त चौथी तिमाही/वर्ष के लिए लेखा परीक्षित प्रतिवेदन के साथ लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं उस पर अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल की बैठक **शुक्रवार, 24 मई, 2019** को आयोजित होगी।

इसके अलावा, ऊपर उल्लिखित वित्तीय परिणामों की घोषणा के उद्देश्य से (घनिष्ठ व्यक्तियों की ट्रेडिंग पर निषेध) विनियमों, 2015 के अनुपालन के तहत घनिष्ठ व्यक्ति की ट्रेडिंग पर निषेध के लिए कंपनी की आचार संहिता के अनुसार कंपनी के सभी निदेशकों, कर्मियों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों तथा सम्बद्ध व्यक्तियों हेतु कंपनी की प्रतिभूतियों के लेनदेन के लिए ट्रेडिंग पिंडों 18 मई, 2019 से स्टॉक एक्सचेंजों में लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के जमा करने की तारीख के उपरांत 48 घंटे तक (दोनों दिन सहित) बंद रहेगी।

कृते एसपीएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड
-हस्ता-
आशीष यादव
(कंपनी सचिव एवं
अनुपालन अधिकारी)

दिनांक: 16.05.2019
स्थान: फरीदाबाद

INDAG

इंडेग रबर लिमिटेड

सीआईएन : एल74899डीएल1978पीएलसी009038

पंजी. कार्यालय : 11, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017

ई-मेल : info@indagrubber.com, वेबसाइट : www.indagrubber.com, फोन : 011-26963172 / 73

सूचना

(कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

कम्पनी के इक्विटी शेयरों का निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण के डीमैट खाते में अनिवार्य अंतरण

यह सूचना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) के साथ पठित कारपोरेट मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रत्यर्पण) नियमावली, 2016 ("उक्त नियमावली") समय समय पर संशोधितानुसार तथा संबन्धी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 39(4) के अनुसार प्रकाशित की जा रही है।

नियमों के अधीन, अन्य के साथ, कम्पनी द्वारा ऐसे सभी शेयर जिनके संबंध में वित्तीय वर्ष 2011-2012 के लिए अंतरिम लामांश का मुगुतान और मांगदावा नहीं किया गया है, 20 अगस्त, 2019 से 30 दिन के भीतर, उक्त नियमावली में निर्धारित विधि में, केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (आईईपीएफ) के डीमैट खाते में अंतरित किए जाने की अपेक्षा की जाती है, यदि लामार्थ स्वामी ने विगत सात वर्षों के दौरान कोई लामांश नकदीकृत नहीं किया है। तदनुसार, कम्पनी ने उन संबंधित शेयरधारकों को उनके अंतिम ज्ञात पते पर व्यक्तिगत सूचना प्रेषित की जा रही है, जिनके शेयर नियमों के तहत आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित किए जाने के भागी हैं। कम्पनी ऐसे शेयरधारकों का पूर्ण विवरण तथा उनके फोलियो नंबर अथवा डीपीआईडी-क्लाइंट आईडी अपनी वेबसाइट www.indagrubber.in पर अपलोड कर चुकी है, जो आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरण के प्रयोजनार्थ कम्पनी द्वारा नए शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जाने, यदि मौलिक रूप में धारित है, के संबंध में उचित सूचना मानी जाएगी। संबंधित शेयरधारक नोट करें कि, ऐसे शेयरों पर कोई भावी लामांश, जिसमें कारपोरेट लाभ सम्मिलित है, आईईपीएफ खाते में क्रेडिट किए जाएंगे। ऐसे शेयर उक्त डीमैट खाते में क्रेडिट किए जाने पर, मांगदावा नहीं किए गए लामांश और आईईपीएफ खाते में अंतरित किए गए ऐसे शेयरों के संबंध में कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा। तथापि, शेयरधारक आईईपीएफ नियमों के तहत दी गई प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात आईईपीएफ प्राधिकरण से क्रेडिट किए गए शेयर तथा अदायित लामांश राशि वापस करने की मांग कर सकते हैं। इस संबंध में मांगदावा प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया www.mca.gov.in तथा www.iepf.gov.in पर उपलब्ध है।

इस विषय में किसी अतिरिक्त जानकारी / स्पष्टीकरण के लिए, संबंधित शेयरधारक कम्पनी को इंडेग रबर लिमिटेड, खेमका हाउस, 11, कम्युनिटी सेंटर, साकेत, नई दिल्ली-110017, फोन : 011-26963172-73 ई-मेल : info@indagrubber.com के पते पर लिख सकते हैं अथवा कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट - स्क्याइलिन फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड, डी-153/ए, प्रथम तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110020, फोन : 011-26812682-83, ई-मेल : admin@skyllinerta.com के साथ सम्पर्क कर सकते हैं।

बोर्ड के आदेश द्वारा
वास्ते इंडेग रबर लिमिटेड
हस्ता./-
कम्पनी सेक्रेटरी

तिथि : 16 मई, 2019
स्थान : नई दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank

...मरोसे का प्रतीक!

...the name you can BANK

वसूली विभाग, सर्कल कार्यालय पीएनबी हाउस, यमुनापुरम, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश
फोन: 05732-281724, फैक्स: 05732-283502 ईमेल: cobsrsamd@pn

सांकेतिक कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि पंजाब नैशनल बैंक, बीओ: सिविल लाइन्स, बुलंदशहर के प्राधिकृत अधिकारी की मनाता से अधोहस्ताक्षरी ने कि एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के स शक्तियों का प्रयोग कर 31.10.2019 को मांग सूचना जारी की थी जिसमें कर्जदार (ओं) श्री गौरव अग्रवाल पुत्र सतीश अग्रवाल पत्नी सतीश अग्रवाल निवासी मकान नं. 84/13, बरगद वाली गली, शेख सराय, बुलंदशहर-203001 से रु. 30,09,2018 को रु. 23,25,917.00 (रुपये तैरईस लाख पच्चीस हजार नौ सौ सत्रह मात्र), 01.10.2018 से अनुबंधित दर 01.10.2018 के बाद वसूली यदि कोई हो, को घटाकर, सूचना की तारीख/उक्त सूचना(ओं) प्राप्ति की से 60 दिनों के कर्जदार द्वारा राशि अदा न कर पाने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का 13 मई 2019 को कब्जा ले लिया है।

प्रत्यन्तु परिस्थितियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (6) के प्रावधानों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

विशेष रूप से कर्जदार और सर्व जन को सामान्य रूप में संपत्ति से कोई भी लेन-देन न करने के लिए आगाह कि कोई भी लेन-देन राशि दिनांक 30.09.2018 को रु. 23,25,917.00 (रुपये तैरईस लाख पच्चीस हजार नौ सौ सत्रह मात्र), बहिष्क की ब्याज सहित और 01.10.2018 के बाद वसूली यदि कोई हो, को घटाकर, के लिए पंजाब नैशनल बैंक, बीओ: सि के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति/आवासीय मकान नं. 84/13, मोहल्ला शेख सराय, बुलंदशहर, माप 72.80 वर्ग मीटर, उप पंजीयक के कार्यालय नं. 2240, पेज नं. 371 से 392 तक, क्रमांक 973 में पंजीकृत, के समस्त भाग व खंड।

निम्नवत् परिबद्ध - पूर्व - रास्ता 15 फुट चौड़ा, पश्चिम - वर्मा जी का मकान, उत्तर - संजय अग्रवाल का मकान, दक्षि

दिनांक: 13.05.2019
स्थान: बुलंदशहर

बीओ:

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank

...मरोसे का प्रतीक!

...the name you can BANK

एआरएमबी सर्किल कार्यालय, पीएनबी हाउस, दूसरी मंजिल, सेक्टर 17

Ph: 0172-5065218, 5065219, FAX: 0172-2783742, E-mail: bo4537@p

सार्वजनिक सूचना

एतद्वारा सर्वजन को अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों ने बैंक से प्रत्येक खाते व ऋण लिया है और पुनर्मुगुतान में चूक के कारण खाते को यथा उल्लिखित तिथि को एनपीए घोषित बैंक द्वारा "जानबूझकर चूक करने वाला" घोषित किया गया है। कर्जदार(ओं) को बकाया राशि और अन्य लागतों/राशियों का मुगुतान करना है तथा बैंक ने इसके लिए उनके खिलाफ वसूली कार्यवाही सार्वजनिक हित में यह सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा "जानबूझकर चूक करने वाला" के रूप कर्जदार(ओं) किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान से वित्तीय सहायता के लिए अधिकृत नहीं है/हैं।

क्र. सं.	ऋणी के फोटोग्राफ	खाता का नाम	ऋणी का नाम (निदेशक/पार्टनर/मालिक, आदि)	ऋणी का पता	ली गई ऋण राशि (रु. लाख)
1.		मैसर्स सूर्या		पंजी कार्यालय: 1608	रु. 13875

परिशिष्ट 4

देवें नियम 8(11)

दखल सूचना

(अचल संपत्ति हेतु)

जब कि,